

हरियाणा सरकार
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 12 सितम्बर, 2014

संख्या 1786-र-4-2014/1784.—हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भौंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 (2011का 1), की धारा 13 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भौंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) नियम, 2011 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भौंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) संशोधन नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भौंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना), नियम, 2011 में, नियम 3 में, उप-नियम (1) में, "31 जुलाई, 2014" अंक, शब्द तथा चिन्हन के स्थान पर, "31 दिसम्बर, 2014" अंक, शब्द तथा चिन्हन प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वाई0 एस0 मलिक,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 12th September, 2014

No. 1786-R-4-2014/1784.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 13 of the Haryana Dholidar, Butimar, Bhonedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Act, 2010 (1 of 2011), the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Dholidar, Butimar, Bhonedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Rules, 2011, namely :-

1. (1) These rules may be called the Haryana Dholidar, Butimar, Bhonedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Dholidar, Butimar, Bhonedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Rule, 2011, in rule 3, in sub-rule (1) for the figure word and sign "31st July, 2014" the figure word and sign "31st December, 2014" shall be substituted.

Y.S. MALIK,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner
to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.